राजस्थान सरकार

2024/13

( कायदा – 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

| किस्म मुकदमा<br>1 | नंबर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फैसला<br>4 | पेशी दिनांक<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 111–128 | 62/24 | 14/3/2024 | | 21/3/2024 |

अनवान

श्री लालुराम s/o कजोड़ जाति मीणा

निवासी जावदा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री मुकेश कु० धाकड़

श्री लक्ष्मण s/o हीरालाल धाकड़

निवासी जावदा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

लालूराम बनाम लक्ष्मण

किस्म मुकदमा – 111 – 128 नम्बर 62 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14/3 /2024 | प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी / जवाव दिनांक 21 / 3 / 2024 को पेश हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बिजौलियां | |
| 21/3/24 | पत्रावली पेश हुई। अनुपस्थित वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 4/4/24 को वास्ते Aो० पेश हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी | |
| 4/4/24 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 62/24 तारीख दायर 14/3/24

लालुराम पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

......................प्रार्थी

**बनाम**

लक्ष्मण पुत्र हीरालाल धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

## –: आदेश :–

दिनांक 4/4/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 313 पर अंकित आराजी संख्या 787/230 रकबा 0.6664 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसी के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 313 पर अंकित आराजी संख्या 787/230 रकबा 0.6664 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसी के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाडा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 62/24 तारीख दायर 14/3/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या .........62........./ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

लालुराम पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

......................प्रार्थी

**बनाम**

लक्ष्मण पुत्र हीरालाल धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 313 पर अंकित आराजी संख्या 787/230 रकबा 0.6664 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसी के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षी को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा